I/177326/2023

संख्याः E177326 /52507 /FCD-IRFC/FSFC/6/2023

प्रेषक,

डा0 अहमद इकबाल
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
डाण्डालखौण्ड, नियर आई0टी0 पार्क,
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादून::दिनांकः 26 दिसम्बर, 2023**

विषयः– पंचम राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में जिला पंचायतों को चतुर्थ त्रैमासिक किश्त के साथ ही अवशेष धनराशि तथा क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को अवशेष धनराशि संक्रमित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 में निज कर राजस्व प्राप्तियों के अनन्तिम आंकड़ें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड से प्राप्त होने के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल देय संक्रमण धनराशि की पुनर्गणना की गई है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्गणना के उपरान्त त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के अन्तर्गत जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त के साथ ही बढ़ी हुई धनराशि तथा क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि, इस प्रकार कुल ₹1244975000.00 (₹एक सौ चौबीस करोड़ उन्चास लाख पचहत्तर हजार मात्र) निम्नानुसार एवं संलग्न विवरणानुसार संक्रमित किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रम संख्या	पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24		अभ्युक्ति
		किश्त का विवरण	संक्रमित धनराशि (₹हजार में)	
1	2	3	4	5
1–	जिला पंचायतें	चतुर्थ त्रैमासिक एवं अवशेष धनराशि	848075	संलग्नक–1
2–	क्षेत्र पंचायतें	अवशेष धनराशि	113900	संलग्नक–2
3–	ग्राम पंचायतें	अवशेष धनराशि	283000	संलग्नक–3
	योग		**1244975**	

3– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही है:–

1–यह धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय–8 (संक्रमण की योजना) में की गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संक्रमित की जा रही है। धनराशि के उपयोग के लिये वित्त विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्याः 266/(वि0आ0निर्दे0) XXXVII(1)/2022, दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारण किये गये हैं, जिसकी प्रति पूर्व में ही प्रेषित की गई है। तद्नुसार समस्त निर्देशों का परिपालन करते हुए धनराशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड से वित्तीय वर्ष 2022–23 में निज कर राजस्व प्राप्तियों के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल देय धनराशि की पुनर्गणना कर धनराशि संक्रमित की जा रही है।

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 26/12/2023 10:12 AM

I/177326/2023

3–वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 132/xxvii(6)/430/ एक / 2008/ 2019 दिनांकः 29 मार्च, 2019 में दी गई व्यवस्था के अनुसार धनराशि आहरित कर संबंधित जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को PFMS के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार हस्तान्तरित की जायेगी। ग्राम पंचायतों के मामले में धनराशि संलग्न विवरणानुसार तत्काल जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी को हस्तान्तरित की जायेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा PFMS के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। उपरोक्त की सूचना वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, पंचायतीराज व जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा धनराशि अपने स्तर पर नहीं रोकी जायेगी।

4–पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को संकमित होने वाली धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम जिला पंचायत में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि पर किया जायेगा।

5–आयोग के संक्रमण सूत्र के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2023–24 में संक्रमण धनराशि ₹2.00 लाख से कम हो रही है, को न्यूनतम ₹2.00 लाख की धनराशि संकमित की जा रही है।

6–जिला पंचायतें संकमित धनराशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत धनराशि अपनी सम्पत्तियों के रख–रखाव एवं सृजन पर व्यय कर सकेंगी। ऐसी जिला पंचायतें जिनके पास अपने कार्यालय भवन उपलब्ध नहीं है, शासन की स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय भवन निर्मित करने हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय कर सकेंगी।

7–पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संकमित धनराशि से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायतीराज विभाग के नवीनतम शासनादेशों के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु अलग से बजट आवंटित नहीं किया जायेगा।

8–ग्राम पंचायतों को जन्म तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र, स्टेशनरी आदि के व्यय हेतु न्यूनतम ₹500/– व अधिकतम ₹1000/–प्रतिमाह संकमित की जा रही धनराशि से आकस्मिकता मद में व्यय करने की अनुमति होगी।

9–कोविड–19 अथवा अन्य कोई संक्रामक बीमारी के फैलने तथा सरकार द्वारा इसे महामारी घोषित किये जाने की स्थिति में संकमित की गई धनराशि का 10 प्रतिशत भाग आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त घोषित महामारी के बचाव हेतु व्यय किया जायेगा।

10–त्रिस्तरीय पंचायतों का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं की स्थापना के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर पंचायत सड़कों का निर्माण, सरकारी भवनों का रख–रखाव, खुलें में शौच से मुक्ति, सरकारी भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के विद्युत देयकों (स्ट्रीट लाईट) का भुगतान, पेयजल योजनाओं का निर्माण एवं रख–रखाव, जलापूति, जल निकासी एवं स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, रोजगार सृजन योजनाओं के साथ–साथ संशाधन जुटाने जैसी नागरिक सुविधाऐं प्रदान करना है। इस के अतिरिक्त सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव, आगंनबाडी भवनों का निर्माण /अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण, अन्त्येष्टि स्थलों की बाउन्ड्री, समुदायिक भवनों के निर्माण करने के साथ–साथ जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को इण्टर कनैक्टिविटी (ग्राम पंचायतों को एक दूसरे से जोड़ने हेतु रास्तों /सड़कों का निर्माण) सम्बन्धी कार्य कराये जा सकते हैं।

11–उक्त कार्यो के साथ–साथ ग्राम पंचायतें पंचायती राज अधिनियम, 2016 के अध्याय–5 की धारा–23 (समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम) में उल्लिखित कार्यो को भी आवश्यकतानुसार करा सकेंगी।

12–जिला पंचायतों को संकमित की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर व क्षेत्र पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रमुख, क्षेत्र पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 26/12/2023 10:12 AM

निदेशक पंचायतीराज को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ग्राम पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निदेशक, पंचायतीराज से प्रतिहस्ताक्षरित कराये जायेंगे। निदेशक, पंचायतीराज द्वारा तीनों स्तरों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का अपने स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त उनको प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (वित्तीय व भौतिक प्रगति) भी संलग्न करना आवश्यक होगा। संक्रमित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीनों स्तर की पंचायतों द्वारा 31 मार्च, 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। तदोपरान्त ही वित्तीय वर्ष 2024–25 की धनराशि संक्रमित की जायेगी।

13–संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए पंचायती राज निदेशालय स्तर पर निदेशक तथा जिले स्तर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी /विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

14–संक्रमित धनराशि के सदुपयोग के लिए शासन स्तर पर सम्बन्धित विभाग के सचिव तथा निदेशालय स्तर पर सम्बन्धित विभाग के निदेशक द्वारा त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

15–अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली–2017 (संशोधित) में निहित प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अर्न्तगत किया जायेगा।

16–वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–111469 /09(150) /2019 /XXVII(1)/2023, दिनांकः 31 मार्च, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17–संक्रमित की जा रही धनराशि का जिला पंचायतवार, क्षेत्र पंचायतवार व ग्राम पंचायतवार विवरण संलग्न है तथा ई–मेल से भी विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है। अलाटमेंन्ट आई.डी. भी संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है।

18–शहरी स्थानीय निकायों के परिसीमन तथा नई नगर पंचायतें/नगर पालिकाओं के गठित होने के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की जनसंख्या व क्षेत्रफल भी परिवर्तित हो गया है, जिसके कारण त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि में आंशिक कमी अथवा वृद्धि सम्भावित है।

19–यदि किसी ग्राम पंचायत को पूर्ण रूप से व आंशिक रूप से नगर निगम/नगर पालिका परिषद् /नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई ग्राम पंचायत का गठन हो गया हो अथवा किसी शहरी निकाय में सम्मिलित ग्राम पंचायत को पुनः ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा शहरी स्थानीय निकाय को अवमुक्त धनराशि का हस्तान्तरण वित्त विभाग के शासनादेश सं0–822/XXVII(1)/2014 दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश सं0–1344/XXVII(1)/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्थानुसार किया जायेगा, जिसकी सूचना सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 26/12/2023 10:12 AM

I/177326/2023

4–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु पारित आय–व्ययक अनुदान की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा :–

क्र. सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक	संक्रमित की जा रही धनराशि (₹ हजार में)
1	2	3	4
1–	जिला पंचायतें	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन– 00–200– अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–05 – जिला पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–69–समनुदेशन के नामे डाला जायेगा।	848075
2–	क्षेत्र पंचायतें	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00– 200– अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 02–राज्य वित्त आयोग –07–क्षेत्र पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन, 69–समनुदेशन के नामें डाला जायेगा।	113900
3–	ग्राम पंचायतें	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00– 200– अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 02–राज्य वित्त आयोग –08–ग्राम पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन, 69–समनुदेशन के नामें डाला जायेगा।	283000
	योग		1244975

(₹एक सौ चौबीस करोड़ उन्चास लाख पचहत्तर हजार मात्र)

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
Signed by Ahmed Iqbal
Date: 22-12-2023 15:15:24
(डा0 अहमद इकबाल)

अपर सचिव, वित्त।

संख्याः E177326 /52507/ FCD-IRFC/FSFC/6/2023,तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुँमाऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, 223, विश्वकर्मा, भवन देहरादून, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड,,उत्तराखण्ड–देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी को मा0 वित्त मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12. निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री जी को मा0 पंचायतीराज मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
13. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव, वित्त।

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 26/12/2023 10:12 AM

I/177330/2023

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए राज्य के निज कर राजस्व में वृद्धि के फलस्वरूप अवशेष देय धनराशि का विवरण।

(₹हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में (राज्य के निज कर राजस्व में वृद्धि सहित) कुल देय धनराशि	विगत दो छमाही किश्तों में संकमित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अवशेष देय धनराशि का संकमण
1	2	3	4	5	6
1–अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	11891	10816	1075
	2	ताकुला	10514	9564	950
	3	धौलादेवी	14556	13240	1316
	4	भैंसियाछाना	8010	7286	724
	5	हवलबाग	14349	13052	1297
	6	लमगड़ा	12777	11622	1155
	7	द्वाराहाट	13652	12418	1234
	8	सल्ट	12346	11230	1116
	9	भिकियासैण	7335	6672	663
	10	ताड़ीखेत	12500	11370	1130
	11	चौखुटियाँ	10708	9740	968
		योगः–	**128638**	**117010**	**11628**
2–बागेश्वर	1	कपकोट	21829	19856	1973
	2	गरूड़	14714	13384	1330
	3	बागेश्वर	19213	17476	1737
		योगः–	**55756**	**50716**	**5040**
3–चमोली	1	कर्णप्रयाग	11805	10738	1067
	2	जोशीमठ	30391	27644	2747
	3	दशोली	11258	10240	1018
	4	घाट	11420	10388	1032
	5	पोखरी	10218	9294	924
	6	गैरसैण	14343	13046	1297
	7	थराली	9485	8628	857
	8	देवाल	9314	8472	842
	9	नारायणबगड़	10471	9524	947
		योगः–	**118705**	**107974**	**10731**
4–चम्पावत	1	लोहाघाट	8971	8160	811
	2	बाराकोट	8373	7616	757
	3	पाटी	12885	11720	1165
	4	चम्पावत	18065	16432	1633
		योगः–	**48294**	**43928**	**4366**
5–देहरादून	1	डोईवाला	15899	14462	1437
	2	रायपुर	4751	4322	429
	3	सहसपुर	18463	16794	1669
	4	विकासनगर	22867	20800	2067
	5	चकराता	11919	10842	1077
	6	कालसी	10400	9460	940
		योगः–	**84299**	**76680**	**7619**
6–हरिद्वार	1	भगवानपुर	29327	26676	2651
	2	खानपुर	8210	7468	742

(₹हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में (राज्य के निज कर राजस्व में वृद्धि सहित) कुल देय धनराशि	विगत दो छमाही किश्तों में संकमित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अवशेष देय धनराशि का संक्रमण
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	3	रूड़की	23206	21108	2098
	4	नारसन	29048	26422	2626
	5	लक्सर	23920	21758	2162
	6	बहादराबाद	43474	39544	3930
		योग:–	**157185**	**142976**	**14209**
7–नैनीताल	1	ओखलकाण्ड़ा	9420	8568	852
	2	भीमताल	7133	6488	645
	3	बेतालघाट	6667	6064	603
	4	हल्द्वानी	14017	12750	1267
	5	रामनगर	13184	11992	1192
	6	रामगढ़	8252	7506	746
	7	कोटाबाग	9747	8866	881
	8	धारी	5092	4632	460
		योग:–	**73512**	**66866**	**6646**
8–पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	10624	9664	960
	2	द्वारीखाल	7863	7152	711
	3	दुगड्डा	4875	4434	441
	4	एकेश्वर	5917	5382	535
	5	जयहरीखाल	5550	5048	502
	6	कल्जीखाल	7643	6952	691
	7	खिर्सू	7210	6558	652
	8	कोट	8496	7728	768
	9	नैनीडांडा	8652	7870	782
	10	रिखणीखाल	7742	7042	700
	11	थलीसैण	12564	11428	1136
	12	यमकेश्वर	10061	9152	909
	13	पौड़ी	8191	7450	741
	14	पाबो	9246	8410	836
	15	पोखड़ा	7467	6792	675
		योग:–	**122101**	**111062**	**11039**
9–पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	16612	15110	1502
	2	मुनाकोट	13762	12518	1244
	3	कनालीछीना	13533	12310	1223
	4	धारचूला	14995	13640	1355
	5	पिथौरागढ़	14631	13308	1323
	6	डीडीहाट	11840	10770	1070
	7	मुनस्यारी	15851	14418	1433
	8	बेरीनाग	12861	11698	1163
		योग:–	**114085**	**103772**	**10313**
10–रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनी	20774	18896	1878
	2	जखोली	16203	14738	1465
	3	ऊखीमठ	12317	11204	1113

I/177330/2023

(₹हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में (राज्य के निज कर राजस्व में वृद्धि सहित) कुल देय धनराशि	विगत दो छमाही किश्तों में संक्रमित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अवशेष देय धनराशि का संक्रमण
1	2	3	4	5	6
		योगः–	**49294**	**44838**	**4456**
11–टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	9945	9046	899
	2	कीर्तिनगर	11264	10246	1018
	3	चम्बा	9696	8820	876
	4	देवप्रयाग	10154	9236	918
	5	भिलंगना	18612	16930	1682
	6	थौलधार	10563	9608	955
	7	जौनपुर	13701	12462	1239
	8	प्रतापनगर	12342	11226	1116
	9	जाखणीधार	11007	10012	995
		योगः–	**107284**	**97586**	**9698**
12–ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	24606	22382	2224
	2	सितारगंज	25277	22992	2285
	3	रूद्रपुर	15334	13948	1386
	4	गदरपुर	18531	16856	1675
	5	बाजपुर	19479	17718	1761
	6	काशीपुर	11862	10790	1072
	7	जसपुर	17680	16082	1598
		योगः–	**132769**	**120768**	**12001**
13–उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	12885	11720	1165
	2	डुण्डा	12333	11218	1115
	3	चिन्यालीसौड़	10064	9154	910
	4	नौगाँव	14114	12838	1276
	5	पुरोला	7583	6898	685
	6	मोरी	11099	10096	1003
			68078	**61924**	**6154**
		योगः–	**1260000**	**1146100**	**113900**

(₹ग्यारह करोड़ उन्चालीस लाख मात्र)

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 22-12-2023 15:16:30
(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव, वित्त।

IFMS Uttarakhand

उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Panchayati Raj(2283)

आवंटन आई डी-H23120070257

आवंटन पत्र दिनांक-26-DEC-2023

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या-007

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट 07-क्षेत्र पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन (3604021970003 से स्थानांतरित)	00-- 02-राज्य वित्त आयोग	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	7

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	1146100000	113900000	1146100000	1260000000
योग	1146100000	113900000	1146100000	1260000000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.11,39,00,000 (Rupees Eleven Crores Thirty Nine Lacs Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2312:0010

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग--01
उत्तराखण्ड शासन

I/177331/2023

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए राज्य के निज कर राजस्व में वृद्धि के फलस्वरूप अवशेष देय धनराशि का क्षेत्र पंचायतवार विवरण।

(₹हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में (राज्य के निज कर राजस्व में वृद्धि सहित) कुल देय धनराशि	विगत दो छमाही किश्तों में संक्रमित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवशेष देय धनराशि का संक्रमण
1	2	3	4	5	6
1–अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	32977	30044	2933
	2	ताकुला	30152	27470	2682
	3	धौलादेवी	40365	36782	3583
	4	भैंसियाछाना	18135	16526	1609
	5	हवलबाग	44064	40154	3910
	6	लमगड़ा	36259	33036	3223
	7	द्वाराहाट	42153	38412	3741
	8	सल्ट	39147	35640	3507
	9	भिक्यिासैण	25837	23508	2329
	10	ताड़ीखेत	37854	34466	3388
	11	चौखुटियाँ	31718	28900	2818
		योगः–	**378661**	**344938**	**33723**
2–बागेश्वर	1	कपकोट	55068	50178	4890
	2	गरूड़	41566	37890	3676
	3	बागेश्वर	68087	62072	6015
		योगः–	**164721**	**150140**	**14581**
3–चमोली	1	कर्णप्रयाग	34646	31584	3062
	2	जोशीमठ	27778	25322	2456
	3	दशोली	25600	23336	2264
	4	घाट	24758	22568	2190
	5	पोखरी	26564	24214	2350
	6	गैरसैण	38729	35306	3423
	7	थराली	19490	17766	1724
	8	देवाल	18502	16870	1632
	9	नारायणबगड़	29389	26796	2593
		योग–	**245456**	**223762**	**21694**
4–चम्पावत	1	लोहाघाट	22409	20412	1997
	2	बाराकोट	17530	15976	1554
	3	पाटी	32381	29512	2869
	4	चम्पावत	44875	40890	3985
		योग–	**117195**	**106790**	**10405**
5–देहरादून	1	डोईवाला	36293	33072	3221
	2	रायपुर	11274	10324	950
	3	सहसपुर	41374	37734	3640
	4	विकासनगर	50173	45742	4431
	5	चकराता	34195	31134	3061
	6	कालसी	31494	28668	2826

I/177331/2023

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में (राज्य के निज कर राजस्व में वृद्धि सहित) कुल देय धनराशि	विगत दो छमाही किश्तों में संक्रमित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवशेष देय धनराशि का संक्रमण
1	2	3	4	5	6
		योग–	**204803**	**186674**	**18129**
6–हरिद्वार	1	भगवानपुर	66602	60694	5908
	2	खानपुर	18577	16928	1649
	3	रूड़की	53854	49080	4774
	4	नारसन	66766	60838	5928
	5	लक्सर	51087	46550	4537
	6	बहादराबाद	98902	90120	8782
		योग–	**355788**	**324210**	**31578**
7–नैनीताल	1	ओखलकाण्डा	24085	21932	2153
	2	भीमताल	18922	17596	1326
	3	बेतालघाट	18437	17396	1041
	4	हल्द्वानी	32809	29900	2909
	5	रामनगर	29916	27262	2654
	6	रामगढ़	19884	18118	1766
	7	कोटाबाग	23655	21696	1959
	8	धारी	12902	11922	980
		योग–	**180610**	**165822**	**14788**
8–पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	31155	28386	2769
	2	द्वारीखाल	23476	21872	1604
	3	दुगड्डा	15169	14316	853
	4	एकेश्वर	21297	19372	1925
	5	जयहरीखाल	16986	15966	1020
	6	कल्जीखाल	23671	21546	2125
	7	खिर्सू	16463	14996	1467
	8	कोट	22825	20800	2025
	9	नैनीडांडा	24953	22724	2229
	10	रिखणीखाल	22370	20372	1998
	11	थलीसैण	34948	31844	3104
	12	यमकेश्वर	26926	24524	2402
	13	पौड़ी	20544	18722	1822
	14	पाबो	23723	21616	2107
	15	पोखड़ा	18948	17260	1688
		योग–	**343454**	**314316**	**29138**
9–पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	47639	43420	4219
	2	मुनाकोट	33575	30600	2975
	3	कनालीछीना	36651	33400	3251
	4	धारचूला	34045	31026	3019
	5	पिथौरागढ़ (विण)	37439	34120	3319
	6	डीडीहाट	28710	26166	2544
	7	मुनस्यारी	42774	38982	3792
	8	बेरीनाग	32932	30020	2912

I/177331/2023

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में (राज्य के निज कर राजस्व में वृद्धि सहित) कुल देय धनराशि	विगत दो छमाही किश्तों में संक्रमित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवशेष देय धनराशि का संक्रमण
1	2	3	4	5	6
		योग–	**293765**	**267734**	**26031**
10–रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनी	65180	59410	5770
	2	जखोली	45209	41206	4003
	3	ऊखीमठ	29268	26676	2592
		योग–	**139657**	**127292**	**12365**
11–टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	28548	27004	1544
	2	कीर्तिनगर	32896	29974	2922
	3	चम्बा	29207	26578	2629
	4	देवप्रयाग	29048	26444	2604
	5	भिलंगना	62417	56876	5541
	6	थौलधार	30220	27540	2680
	7	जौनपुर	41312	37610	3702
	8	प्रतापनगर	35106	31994	3112
	9	जाखणीधार	31704	28886	2818
		योग–	**320458**	**292906**	**27552**
12–ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	54467	49628	4839
	2	सितारगंज	56938	51890	5048
	3	रूद्रपुर	34276	31242	3034
	4	गदरपुर	42598	38824	3774
	5	बाजपुर	44452	40514	3938
	6	काशीपुर	27148	24746	2402
	7	जसपुर	40685	37070	3615
		योग–	**300564**	**273914**	**26650**
13–उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	34319	31278	3041
	2	डुण्डा	36012	32814	3198
	3	चिन्यालीसैण	27610	25154	2456
	4	नौगाँव	44316	40398	3918
	5	पुरोला	15641	14270	1371
	6	मोरी	26970	24588	2382
		योग–	**184868**	**168502**	**16366**
		महायोग :–	**3230000**	**2947000**	**283000**

(₹अट्ठाईस करोड़ तीस लाख मात्र)

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 22-12-2023 15:17:02

(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव, वित्त।

I/177329/2023

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में चतुर्थ तिमाही किश्त एवं राज्य के निज कर राजस्व में वृद्धि के फलस्वरूप अवशेष देय धनराशि का विवरण।

(₹हजार में)

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में (राज्य के निज कर राजस्व में वृद्धि सहित) कुल देय धनराशि	विगत तीन त्रैमासिक किश्तों में संक्रमित की गई धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023–24 की चतुर्थ तिमाही किश्त हेतु देय धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के निज कर राजस्व में वृद्धि के फलस्वरूप देय धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु चतुर्थ किश्त के रूप में संक्रमित की जा रही कुल धनराशि (5 + 6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	अल्मोड़ा	220615	151062	50354	19199	69553
2	बागेश्वर	131241	89865	29955	11421	41376
3	चमोली	217864	149178	49726	18960	68686
4	चम्पावत	94995	65046	21682	8267	29949
5	देहरादून	218573	149664	49888	19021	68909
6	हरिद्वार	406277	278190	92730	35357	128087
7	नैनीताल	147702	101136	33712	12854	46566
8	पौड़ी गढ़वाल	242522	166062	55354	21106	76460
9	पिथौरागढ़	196987	134883	44961	17143	62104
10	रूद्रप्रयाग	110233	75480	25160	9593	34753
11	टिहरी गढ़वाल	226920	155379	51793	19748	71541
12	उधमसिंह नगर	333578	228411	76137	29030	105167
13	उत्तरकाशी	142493	97569	32523	12401	44924
योगः–		**2690000**	**1841925**	**613975**	**234100**	**848075**

(₹चौरासी करोड़ अस्सी लाख पचहत्तर हजार मात्र)

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 22-12-2023 15:15:50
(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव, वित्त।